प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः— एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम./एम.एण्ड ई./2013—14/10/3234-9 दिनांकः 04/10/13

विषयः— माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 07/09/2013 को जनपद मेरठ में सहारनपुर एवं मेरठ मण्डल की समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में।

महोदय/महोदया,

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 07.09.2013 को पी.डी.एफ.एस.आर. भवन, मेरठ में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मिशन निदेशक,एन.आर.एच.एम., महानिदेशक,चिकित्सा,स्वास्थ्य, महानिदेशक, परिवार कल्याण व राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ—साथ मेरठ व सहारनपुर मण्डल के अपर निदेशक, समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय ने भाग लिया। बैठक का कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिये गये निर्णयों एवं निर्देशों पर कार्यवाही कराकर 15 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण एवं अनुपालन आख्या सकलित कर शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें तथा इसकी 1 प्रति महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक कार्यालय को भी प्रस्तुत करने का कष्ट करें जिससे कि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय,

04/10/13

(बी0के0 जैन)
महाप्रबन्धक (एम.एण्ड.ई.)

पत्रांकः— एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम./एम.एण्ड ई./2013—14/10/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर मिशन निदेशक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर मिशन निदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को सूचनार्थ प्रेषित।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. समस्त महाप्रबंधक, वित्त नियंत्रक, उपमहाप्रबंधक, एस.पी.एम.यू., एन.आर.एच.एम./एन.यू.एच.एम. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. सम्बंधित मण्डलीय/जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.आर.एच.एम.,उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(बी0के0 जैन)
महाप्रबन्धक (एम.एण्ड.ई.)

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः– एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम./एम.एण्ड ई./2013–14/10/ दिनांकः 04/10/13

विषयः– माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 07/09/2013 को जनपद मेरठ में सहारनपुर एवं मेरठ मण्डल की समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में।

महोदय/महोदया,

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 07.09.2013 को पी.डी.एफ.एस.आर. भवन, मेरठ में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मिशन निदेशक,एन.आर.एच.एम., महानिदेशक,चिकित्सा,स्वास्थ्य, महानिदेशक, परिवार कल्याण व राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ–साथ मेरठ व सहारनपुर मण्डल के अपर निदेशक, समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय ने भाग लिया। बैठक का कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिये गये निर्णयों एवं निर्देशों पर कार्यवाही कराकर 15 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण एवं अनुपालन आख्या सकलित कर शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें तथा इसकी 1 प्रति महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक कार्यालय को भी प्रस्तुत करने का कष्ट करें जिससे कि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय,

(बी0के0 जैन)
महाप्रबन्धक (एम.एण्ड.ई.)

पत्रांकः– एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम./एम.एण्ड ई./2013–14/10/3934-2-8 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर मिशन निदेशक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर मिशन निदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को सूचनार्थ प्रेषित।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. समस्त महाप्रबंधक, वित्त नियंत्रक, उपमहाप्रबंधक, एस.पी.एम.यू., एन.आर.एच.एम./एन.यू.एच.एम. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. सम्बंधित मण्डलीय/जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.आर.एच.एम.,उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

04/10/13
(बी0के0 जैन)
महाप्रबन्धक (एम.एण्ड.ई.)

मननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 7.9.2013 को जनपद मेरठ में मेरठ व सहारनपुर मण्डल की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 7.9.2013 को पी.डी.एफ.एस.आर. भवन, मेरठ में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम., महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य, महानिदेशक, परिवार कल्याण व राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ साथ मेरठ व सहारनपुर मण्डल के अपर निदेशक, समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय ने भाग लिया।

समीक्षा के बिन्दु एवं दिये गये निर्देश:

ओपीडी

- अगस्त 2012 की तुलना में अगस्त 2013 में जनपद मेरठ में 58.8 प्रतिशत, गाजियाबाद में 71.3 प्रतिशत, बुलन्दशहर में 67.2 प्रतिशत, गौतमबुद्धनगर में 59.3 प्रतिशत, बागपत में 40.9 प्रतिशत, सहारनपुर में 43 प्रतिशत, मुजफ्फरनगर में 72.7 प्रतिशत तथा शामली में 95.2 प्रतिशत वृद्धि हुई है, तथा हापुड में 29.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि प्रदेश में कुल 35.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रगति पर सन्तोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य स्तर पर वर्ष 2012 में 55.78 लाख की ओपीडी के सापेक्ष 75.69 लाख हुई है, जिसको एक करोड तक आसानी से बढाया जा सकता है। जिला चिकित्सालयों में अगस्त 2012 की तुलना में अगस्त 2013 में मेरठ मण्डल के सभी जनपदों के जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय में रोगियों की ओपीडी संख्या बढी है, केवल जिला संयुक्त चिकित्सालय, संजयनगर गाजियाबाद में 24.3 प्रतिशत की कमी आई है। इसमें आवश्यक सुधार लाने के निर्देश दिये गये। सहारनपुर मण्डल के तीनों जनपदों के जिला पुरूष/महिला चिकित्सालय में रोगियों की ओपीडी संख्या बढी है, केवल जिला चिकित्सालय, सहारपुर में 1.4 प्रतिशत की कमी आई है। इसमें आवश्यक सुधार लाने के निर्देश दिये गये।

आई0पी0डी0

- भर्ती रोगियों की संख्या अगस्त 2012 की तुलना में अगस्त 2013 में गाजियाबाद, बुलन्दशहर तथा गौतमबुद्धनगर में वृद्धि हुई है परन्तु जनपद मेरठ में 3.3 प्रतिशत, बागपत में 3.1 तथा हापुड में 21 प्रतिशत की कमी आई है। मुख्य चिकित्साधिकारी हापुड़ द्वारा बताया कि सर्जन की तैनाती न होने के कारण इंडोर में कमी आई है। सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोगियों को भर्ती कर उपचार सेवा देने पर बल दिया गया। सहारनपुर मण्डल में भर्ती रोगियों की संख्या अगस्त 2012 की तुलना में अगस्त 2013 में शामली में संख्या घटी है। जिला चिकित्सालयों में अगस्त 2012 की तुलना में अगस्त 2013 में भर्ती रोगियों की संख्या सभी ईकाईयों में बढ़ी है। जिला संयुक्त चिकित्सालय, गाजियाबाद में 7.7 प्रतिशत की कमी आई है। इसमें आवश्यक सुधार लाने के निर्देश दिये गये। जिला संयुक्त चिकित्सालय, बागपत का नवनिर्मित भवन में रोगियों को भर्ती करना आरम्भ किया गया है।
- जनपद मेरठ के खरखौदा में कोई इन्डोर सुविधा न होने की शिकायत मिली है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस संबंध में तत्काल अपनी आख्या प्रेषित करें।

- विगत चार माह में समीक्षा बैठकों में दिये गये निर्देशों का परिणाम है कि मेरठ व सहारनपुर मण्डल की अगस्त 2012 की तुलना में माह अगस्त 2013 की ओ0पी0डी0 6.6 लाख से बढकर 9.2 लाख हो गयी है। इसको इस वर्ष में 1.00 करोड़ ओपीडी का लक्ष्य पूर्ण करना है।
- प्यारे लाल शर्मा जिला चिकित्सालय, मेरठ में दोपहर 12.30 बजे के बाद पैथोलोजी परीक्षण के लिए सैम्पल नही लिया जाता। इस प्रकार की व्यवस्था बना ली जाए कि सैम्पल 2.00 बजे तक लिये जा सके।
- जनवरी से अगस्त 2013 तक सर्जन की समीक्षा करने पर जनपद बागपत से डा0 आर.डी. जिन्दल, डा0 जितेन्द्र यादव डा0 सुषमा भारती, जनपद गौतमबुद्धनगर से डा0 सुनीता वर्मा, जनपद हापुड से डा0 प्रवीण वर्मा व डा0 सुरेश यादव, जनपद सहारनपुर से डा0 अनिल शर्मा, डा0 रीना रानी वर्मा व डा0 गोपाल, जनपद मुजफ्फरनगर से डा0 यधुवेन्द्र व डा0 शिवदत्त विशेषज्ञ होने पर भी इनके द्वारा कोई मेजर सर्जरी नही की गयी है। सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक इनके संबंध में सूचना दे, और यदि इनके द्वारा मेजर सर्जरी नही की जा रही है तब समुचित साक्ष्यों के साथ आरोप पत्र तैयार कर शासन को तत्काल तैयार कर प्रेषित करें।
- पिछले वर्ष की तुलना में इंडोर 3.4 लाख से बढकर 4.00 लाख हुआ है, परन्तु बैड आक्यूपैन्सी घटी है। सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सुनिश्चित कर लें कि जहॉ पर भी बैड आक्यूपैन्सी 50% से कम हो रही है, वहाँ की समीक्षा कर कारण का पता कर प्रभावी कार्यवाही कर लें।
- जिला महिला चिकित्सालय, मेरठ में मुफ्ट डाइट नही मिल रही है, उसका धन रिलीज किया जा चुका है। गाईडलाईन पूर्व की भॉति है, वेबसाईट से प्रति प्राप्त कर लें तथा लाभार्थियों को कल से निःशुल्क डाइट उपलब्ध करायें।
- अपर निदेशकों को निर्देशित किया गया कि सप्ताह में तीन दिन जिला चिकित्सालय में बैठें।

<u>एन0आर0एच0एम0 गतिविधियां:</u>

- जे.एस.वाई व जे.एस.एस.के. के संबंध में अवगत कराया गया कि आशा कार्यकत्रियों का शामली, हापुड व बागपत में भुगतान न होने की शिकायतें मिल रही है। मुख्य चिकित्साधिकारी बागपत द्वारा बताया कि डी.एच.एस. की बैठक के बाद भुगतान शीघ्र निर्गत किया जायेगा। मिशन निदेशक द्वारा आशाओं के भुगतान हेतु दिन निर्धारित कर भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये।
- मुख्य चिकित्साधिकारी, गौतमबुद्धनगर को प्रारूप 18 व 19 पर रिपोर्ट रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिये गये।
- मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल से मानव संसाधन के संबंध में 2 सितम्बर की सायकाल ई.मेल भेजा गया था, परन्तु किसी भी जनपद की सूचना प्राप्त नही हुई। सूचनाओं के समय पर न मिलने के कारण भारत सरकार को पूर्ण विवरण भेजने में विलम्ब होता है। विलम्ब से सूचना भारत सरकार को भेजने के कारण उसकी स्वीकृति समय पर नही मिल पाती है और ऐसी स्थिति में सभी संविदा स्टाफ का नवीनीकरण अक्टूबर 2013 में नही हो सकेगा और

कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निर्धारित समय पर सभी प्रारूपों पर सूचना स्वतः भेजने की प्रणाली विकसित करें।

- मैटरनल डैथ जनपद बागपत, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद व हापुड में शून्य दर्शायी गई है। समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने अपने जनपदों में प्रभारी चिकित्साधिकारी एंव आशाओं की बैठक करके उनको विश्वास में लें तथा गाईडलाईन के अनुसार कार्यवाही करें। सभी गाईडलाईन एन.आर.एच.एम. की वैबसाईड पर अपलोड की जा चुकी है।
- सुरक्षित गर्भपात सेवा हेतु गठित कमेटी की सूचना गौतमबुद्धनगर, बागपत व हापुड के मुख्य चिकित्साधिकारी अविलम्ब परिवार कल्याण निदेशालय एवं एस0पी0एम0यू0 को भेजना सुनिश्चित करें।
- जे.एस.एस.के के संबंध में गौतमबुद्धनगर व्यय विवरण व लक्ष्य निर्धारण की सूचना एस0पी0एम0यू0 को प्रेषित करें।
- गाजियाबाद स्तर पर एम.सी.टी.एस. रिपोर्ट की भ्रान्ति के संबंध में अवगत कराया गया कि पैथोलोजी/औषधि वितरण हेतु एक लाभार्थी के अनेक परीक्षण होते है या उसको कई बार दवा दी जाती है, तब भी उसको एक ही लाभार्थी माना जाये।
- फ्री ड्राप बैक सेवा में गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद व शामली ने शून्य खर्चा दर्शाया है। निर्देशित किया गया कि जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कर इस संबंध में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कर लें।
- एफ.आर.यू. के संबंध में अवगत कराया गया कि कुल 209 एफ.आर.यू. को क्रियाशील किया जाना है जिनपर अधिकतम संसाधन लगाये जाए। अपर निदेशक स्तर पर भी ग्रामीण क्षेत्र में आप्रेशन कराये जाने के प्रयास करने पर बल दिया।
- एम्बूलेन्स 108 सेवाओं को डिलीवरी के लाने में प्रयोग नही किया जा रहा है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने स्तर से इसका प्रचार करायें।
- एम0सी0टी0एस0 डाटा नही भरा जा रहा है, इससे सूचना केन्द्र सरकार को नही जा पाती और राज्य को मिलने वाली राशि रूक जाती है। जे.एस.एस.के.योजना की सूचना अपूर्ण है, ड्राप बैक सुविधा पर व्यय दर्शाया नही जा रहा है जबकि प्रत्येक इकाई को एक एम्बुलेंस दी गई है।
- मिशन फ्लैक्सीपूल में जनपद बागपत ने केवल 10 प्रतिशत तथा बुलन्दशहर द्वारा 8 प्रतिशत व्यय किया है। अविलम्ब जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में अनुमोदन कराकर व्यय करना सुनिश्चित करें। लंबित भुगतान पाये जाने पर संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी जिम्मेदार होंगे।

<u>प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि :–</u>

- जनपद से रिपोर्ट प्रेषण से पूर्व भली भॉति जॉच कर ली जाए, ताकि रिपोर्ट में अन्तर न हो। सभी मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देशित किया गया कि दैनिक रूप से अपने चिकित्सालय का प्रातःकाल में निरीक्षण कर लें, और पायी गयी कमियों को नोट कर, ओपीडी बन्द होने के बाद जहॉ पर कोई कमी पायी गयी है; अथवा सुधार की आवश्यकता प्रतीत हो, उन चिकित्सकों की एक छोटी बैठक कर अवगत करा दें तथा अगले दिन पुनः निरीक्षण में

उसकी समीक्षा कर लें। इससे प्रतिदिन के कियाक्लापों की जानकारी रहेगी तथा रोगियों को समुचित चिकित्सा सेवाऐं मिल सकेंगी तथा आपस में संवाद भी बना रहेगा।

- मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एंव मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों/अधिक्षिकाओं को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह अपने यहॉ चिकित्सकों की मासिक बैठक का आयोजन आवश्यक रूप से किया जाए तथा चिकित्सक वार उनके कार्य की समीक्षा की जाए।
- प्रत्येक प्रा0स्वा0केन्द्र पर 4 बैड तथा सा0स्वा0केन्द्रों पर 30 बैड स्वीकृत है, परन्तु सूचनाओं के प्रेषण में समुचित तालमेल नही है। सभी मुख्य चिकित्साधिकारी सुचिश्चित कर लें कि ईकाईयों में वार्ड नही बनाये है, तो उनको बनाकर बैड स्थापित कर लें, किसी भी दशा में बैड संख्या में भ्रान्ति न हो।
- दिनॉक 4.7.13 को सभी चिकित्सकों की ओपीडी/दैनिक डायरी को अपलोड किये जाने के निर्देश किये है, केवल जनपद गाजियाबाद से कार्यवाही आरम्भ हुई है। सभी स्तर पर इसको तत्काल आरम्भ कर दिया जाए कि चिकित्सक द्वारा किस दिनॉक को क्या काम किया है, जिससे उसकी तैनाती व कार्य स्पष्ट हो सके। अन्यथा की दशा में चिकित्सक का वेतन आहरित नही होगा। यह भी सुनिश्चित करा लें कि चिकित्सक उपस्थित हैं परन्तु दैनिक डायरी नही बना रहे है तब यह कदाचार की श्रेणी में है। स्पष्टीकरण लेकर वेतन आहरित किया जाए, तथा भविष्य में बिना डायरी के वेतन आहरित नही होगा।
- जनपद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिष्ठान में चिकित्सकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने चिकित्सकों का वेतन आहरित हो रहा है। यदि कम चिकित्सकों का वेतन आहरित हो रहा है तब ऐसे चिकित्सक जिनका वेतन आहरित नही हो रहा है, उनके संबंध में आरोप पत्र गठित कर, समुचित साक्ष्यों सहित दिनॉक 20.9.2013 तक प्रत्येक दशा में शासन को प्रेषित कर दिये जाए। यदि स्वीकृत पदों से अधिक चिकित्सकों का वेतन आहरित हो रहा है, तब स्थिति से स्पष्ट करें कि अधिक चिकित्सकों का वेतन क्यों आहरित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अपने मण्डल के अपर निदेशको को भी सूचित कर दें।
- निमार्ण कार्य हेतु निमार्णदायी संस्था को मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से धन अवमुक्त करना है, परन्तु कुछ जनपदों द्वारा निमार्णदायी संस्था को धन अवमुक्त नही किया है, विलम्ब की दशा में संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि लगभग 15000 पदों के सापेक्ष 10000 हजार चिकित्सक चिकित्सा संवर्ग में कार्यरत है। 5000 चिकित्सकों का अभाव है, विभाग की छवि खराब है। सभी चिकित्सकों के वेतनमान सम्मानजनक है, जितना वेतन मिलता है, उतना काम भी नही हो रहा है। कई चिकित्सक प्राईवेट प्रैक्टिस में लिप्त रहते है। प्राईवेट प्रैक्टिस छोड़ दें। प्रत्येक चिकित्सक से अपेक्षा की जाती है कि अपने दायित्वों का निर्वहन करें ताकि जनता को समुचित स्वास्थ्य सेवाऐं मिल सके और विभाग की छवि में सुधार हो।

महानिदेशक, परिवार कल्याण द्वारा उपस्थित समस्त प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक समाप्त की गई।